

सफाई कार्य के प्रतिदिन व्हाट्स एप पर देना होंगे फोटो

रतलाम 03 जुलाई । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक चुस्त बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डों में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यों की फोटो पृथक-पृथक शिफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप पर भेजे फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डों में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके अलावा सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों व उद्यान विभाग के मालियों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 3 जुलाई को 82 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 03 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 03 जुलाई शनिवार को 82 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

03 जुलाई शनिवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 48740, काम्पेक्टर सूखा कचरा 21905, काम्पेक्टर गीला कचरा 10120 व कन्टेनमेंट मैजिक से 1980 किलो इस तरह कुल 82745 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

श्री हनीफ शेख को जलप्रदाय के साथ 3 अन्य विभाग का प्रभार सौंपा

रतलाम 03 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्य व्यवस्था की दृष्टि से प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री हनीफ शेख को जलप्रदाय, उद्यान, प्रकाश व वाहन विभाग (कर्मशाला) का प्रभार सौंपा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने जलप्रदाय विभाग का प्रभार प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री हनीफ शेख को प्रभार देते हुए प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास को उक्त प्रभार से मुक्त किया इसी तरह वाहन विभाग (कर्मशाला) का प्रभार श्री शेख को देते हुए प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को उक्त प्रभार से मुक्त किया है।

झोन प्रभारी ड्रायवरों एवं हैल्परों की करेंगे उपस्थिति दर्ज

रतलाम 03 जुलाई । घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने ड्रायवरों एवं हैल्परों की उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु झोन प्रभारियों को अधिकृत किया है।

झोन प्रभारी प्रातः 06:00 बजे वाहन विभाग (कर्मशाला) में उपस्थित होकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने-अपने झोन क्षेत्रों के समस्त कचरा संग्रहण वाहन निर्धारित समय पर, निर्धारित

स्थलों पर पंहूचे। इसके अलावा अपने-अपने क्षेत्रों के समस्त कचरा संग्रहण वाहनों के ड्रायवरों एवं हैल्परों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

गंदगी करने वालो पर झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारी करेंगे जुर्माने की कार्यवाही

रतलाम 03 जुलाई | खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा करने वाले दुकानदार एवं नागरिकों, मास्क नही पहनने वाले, अमानक स्तर के प्लास्टिक/पॉलीथीन विक्रय करने वालो पर स्पॉट फाईन किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि स्पॉट फाईन दल के अलावा चारो झोन प्रभारी व समस्त वार्ड प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में गंदगी फैलाने वाले दुकानदार व नागरिकों, मास्क नही पहनने वाले, अमानक स्तर के प्लास्टिक/पॉलीथीन विक्रय करने वालो पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही करेंगे

10 सफाई संरक्षकों को सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 03 जुलाई | झोन क्रमांक 1, 2 व 3 के 10 ऐसे सफाई संरक्षक जिनका नाम वार्ड/झोन पर दर्ज होकर वर्तमान में वार्डों में लगाये गये फ्लेक्स पर अंकित है किन्तु वे कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहते है निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उक्त कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

झोन क्रमांक 1 में जितेन्द्र-बलराम 30 दिवस बदली कर्मचारी, श्याम-प्रकाश गैंग सफाई संरक्षक, सुमनलाल-रतन दै0वे0 भोगी वार्ड क्रमांक 5, शंकर-पुनाजी, हरिओम-मनोहर, सनी-मुकेश दै0वे0भोगी कर्मचारी, झोन क्रमांक 2 में जयकिशन-मदन, नरेन्द्र-नवीन दै0वे0भोगी कर्मचारी व झोन क्रमांक 3 में महेन्द्र-राजेन्द्र गैंग सफाई संरक्षक, जितेन्द्र-प्रकाश दै0वे0भोगी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 03 जुलाई | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 03 जुलाई को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर चौधरी रेस्टोरेंट, अमित स्टेशन रोड, साजिद, योगेश कॉलेज रोड, रतनलाल, सोहनलाल, कैलाश, चांदनी चौक, रशीद खान त्रिपोलिया गेट, सहज कार डेकोरेटर्स महु रोड व परवेज महु रोड बस स्टैण्ड पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

1028 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 03 जुलाई | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 3 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1028 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 3 जुलाई को अलकापुरी, सनसिटी, टैंकर रोड आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 जुलाई | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 03 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 03.07.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.